बाल अपराध

डॉ० विनीता गुप्ता
एसोसिऐट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
कनोहर लाल पी०जी० गर्ल्स कॉलेज, मेरठ

सारांश

बाल अपराध आधुनिक युग की एक गम्भीर समस्या है बाल अपराध (किशोर) बालक का लड़कपन या नटखटपन है जिसके वशीभूत वह कानून का उल्लधन करता है अथवा जन कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराधों से हे जो 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़की या 16 वर्ष से कम आयु वाले लड़के द्वारा किए गए हो बाल अपराध निश्चित आयु से कम बच्चों के ऐसे व्यवहार को कहते है जिसे समाज अस्वीकार करता है अपराधियों के सुधार के लिए दण्डनीति में परिवर्तन की आवश्यकता तथा पुलिस और जन साधारण के सम्बन्धों में परिवर्तन की महत्ता पर भी बल दिया है।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ० विनीता गुप्ता,

''बाल अपराध''

शोध मंथन,
सितम्बर 2017,
पेज सं0 186–192
http://anubooks.com/?page_id=581
Artcile No. 26

प्रस्तावना

बाल–अपराध सामाजिक और वैयक्तिक विघटन का परिणाम है। बाल–अपराध विज्ञान एक अलग विज्ञान के रूप में प्रारम्भ हुआ है। यह समाज विज्ञान की वह शाखा है जो बच्चों के समाज–विरोधी व्यवहार का अध्ययन करती है। बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य है। किन्तु जब यह नटखटपन समाज की मान्यताओं को भंग करते हैं तो यह बाल–अपराध के नाम से जाना जाता है। बाल अपराध की समस्या कोई पृथक समस्या नही वरन् यह सामाजिक परिवर्तन और समाज में असामजस्य का ही परिणाम है। पश्चिमी देशों में औद्योगीकरण के प्रभाव से सामाजिक संरचना एवं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आ रहे है। परिणामस्वरूप वहाँ बाल–अपराध की समस्या उत्पन्न हुई है। भारतीय समाज में ग्रामीण विशेषताएँ व्याप्त हैं और इसे अपनी परम्पराओं से घनिष्ठ लगाव है। अतः यहाँ बाल–अपराध की भीषण समस्या नही है किन्तु शहरों के विकास एवं ग्रामीण जनता का शहरों की और पलायन तथा संयुक्त परिवार के विघटन से नियन्त्रण में शिथिलता आयी है एंव पड़ोस का प्रभाव भी क्षीण हुआ है। कुछ समय पूर्व तक परिवार द्वारा प्राप्त सामाजिक और आर्थिक अभाव के कारण बच्चों की उचित देख–रेख नही हो पाती और सामाजीकरण के अभाव में बच्चा समाज विरोधी हो जाता है। बच्चे कोमल पौधे की तरह है। जिनका सफलतापूर्वक फलना एंव फूलना नाजुक पालन–पोषण पर निर्भर करता है। कुछ समय पूर्व तक युवा अपराधियों और बाल–अपराधियों मे कोई भेद नही किया जाता था और दोंनो को समान रूप से दण्डित किया जाता था। सन् 1883 में इग्लैण्ड मे एक बच्चे को दो पेन्स की चित्र को चुराने के अपराध में फांसी की सजा दी गयी उस समय के कानून के सरंक्षक व निर्माता समाज रक्षा के लिए इस प्रकार के दण्ड को आवश्यक मानते थे किन्तु वर्तमान में अपराधी बच्चे को दण्ड न देकर उसका सुधार एवं पुनर्वास किया जाता है।

बाल–अपराध का अर्थ

बाल–अपराध निश्चित आयु से कम बच्चों के ऐसे व्यवहार को कहते है जिसे समाज अस्वीकार करता है अथवा बाल–अपराध उनके ऐसे कार्यों को कहा जाता है जो कि समाज कल्याण के लिए हानिकारक हो सकते है। बाल अपराधी की परिभाषा देना कठिन कार्य है। क्योंकि समाजशास्त्री तथा अपराधशास्त्री इसे अलग–अलग दृष्टिकोण से देखते है।

अपराध और बाल–अपराध में अन्तर

1. आयु भेदः– बाल–अपराध कम आयु के बालकों (अधिकांशतः 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक) द्वारा किया जाता है। जबकि अपराध युवा व्यक्ति (19 या उस से ऊपर की आयु के व्यक्ति) द्वारा

2. पृष्ठभूमि में भेदः– बाल–अपराध युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। बाल–अपराध ही आगे चलकर अपराधी बनते है।

3. समझ का भेदः– बाल–अपराधी कोमल मस्तिष्क के कारण अपराध की गम्भीरता को पूरी तरह से नही समझ पाते जबकि युवा–अपराधी अपराध के परिणामों को भली–भाँति समझते है।

4. सुधार के आधार पर भेदः– बाल–अपराधी का सुधार सरल एवं सम्भव है क्योंकि बच्चे के अपिरपक्व मस्तिष्क को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है जबकि युवा अपराध में सुधार की सम्भावना कम होती है।

5. दण्ड में भेदः– बाल–अपराधी को दण्ड के स्थान पर सुधारालय भेजा जाता है जबकि अपराधी को उसके अपराध की प्रकृति के अनुसार दण्ड दिया जाता है।

6. प्रशिक्षण में भेदः– कभी–कभी युवा अपराधी संगठित अपराध या व्यासायिक अपराध में बाल–अपराधियों का सहारा लेते हैं। इस तरह से युवा अपराधी बाल–अपराधियों को प्रशिक्षण देते है। जबकि समान्यतः कोई भी युवा अपराधी बाल–अपराधी का प्रशिक्षण नही लेता।

7. उपयोगिता में भेदः– कोहन की मान्यता है कि बाल–अपराध में अनुपयोगिता की मात्रा अधिक होती है अथार्त बच्चा सदा ही किसी लाभ के लिए अपराध नही करता वरन् अज्ञानता के कारण भी करता है। जैसे बच्चे द्वारा किसी कक्षा के छात्र की पुस्तक चुराकर फाड़ देना इस कार्य में उसे लाभ प्राप्त नही होता है।

8. उद्देश्यों में भेदः– कई बच्चों द्वारा हँसी मजाक या द्वेश के कारण ऐसे कार्य कर लिये जाते है। जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे पत्थर फेंकने पर किसी के चोट लगना या किसी वस्तु का टूट जाना जबकि अपराध में संगठित एवं योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाता है।

9. प्रभाव में अन्तरः– बाल अपराध अधिकांशतः वैयक्तिक विघटन का सूचक है। जबकि अपराध से सम्पूर्ण समाज व राश्ट्र को सामाजिक,राजनीतिक, आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

बाल–अपराध के कारण या कारक

बाल–अपराध एक सामाजिक समस्या है। अतः इसके अधिकांश कारक भी समाज में ही विद्यमान है। इसके प्रमुख कारकों को अग्रांकित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

बाल–अपराध के पारिवारिक कारक

बच्चे के बिगड़ने में परिवार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि बच्चों पर बड़ों का काफी प्रभाव पड़ता है। परिवार में ऐसे अनेक कारक हो सकते हैं जैसे बच्चे की ठीक प्रकार से देख–रेख न करना, बच्चे की आर्थिक आवश्यकताओं के पूरा न करना, बच्चे को ऐसे वातावरण में रखना जो वातावरण बच्चे को पसन्द नही या परिवार का उसके प्रति शून्य रहना इत्यादि, जोकि बच्चे पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे परिवार में बच्चे को सुरक्षा नहीं मिलती तथा वह बाल अपराधी बन जाता है। बाल–अपराध के प्रमुख पारिवारिक कारक इस प्रकार हैंः–

भग्न अथवा नष्ट परिवारः– बाल अपराध के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षणों द्वारा पता चलता है कि बाल–अपराधी की मात्रा साधारण परिवारों के मुकाबले नष्ट परिवारों में अधिक पाई जाती है। नष्ट परिवार का अर्थ ऐसे परिवारों से है जिनमें माता–पिता बच्चों के प्रति अपने कर्त्तव्यों को नही समझते अथवा मृत्यु तलाक या परित्याग दशाओं के परिणाम स्वरूप माता–पिता में से किसी एक का अभाव पाया जाता है। नष्ट परिवार भी दो प्रकार के होते हैं–

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नष्ट परिवारः– ये वे परिवार हैं जहाँ माता–पिता तथा बच्चे इक्ट्ठे तो रहते हैं परन्तु अपने कर्त्तव्यों को नही समझते, एक –दूसरे का आदर नहीं करते तथा बच्चों की देख–रेख ठीक प्रकार से नही की जाती। ऐसे परिवारों में बच्चों को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। जिस के कारण उनका मन घर पर नही लगता तथा वे अकेला महसूस करते है और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं।

भौतिक दृष्टि से नष्ट परिवारः– माता–पिता में से किसी एक का घर पर रहना अथवा दोनों का न होना भी बाल–अपराध के लिए जिम्मेदार है। तलाक, घर में लम्बी बीमारी तथा मृत्यु बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है। सौतेली माता का व्यवहार भी बच्चों को अपराधी बना सकता है।

दुर्व्यसन परिवारः– दुर्व्यसन परिवार उन परिवारों को कहा जा सकता है जहाँ पर एकता की कमी होती है तथा लड़ाई झगडों के कारण मानसिक तथा संवेगात्मक तनाव में सघर्ष पैदा होता है। जोकि बच्चों के व्यवहार में अस्थायित्व लाने लगता है। असुरक्षा, चिड़िचिड़ापन सख्ती इत्याद परिस्थितियाँ बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती हैं तथा वे बाल अपराधी बन जाते है।

अपराधी प्रतिमानों वाले परिवारः– कई परिवार ऐसे होते है जहाँ पर अपराध को प्रोत्साहन दिया जाता है। माता–पिता स्वयं बच्चों की बेईमानी से पैसा लाने, चोरी करने, जुआ खेलने तथा शोषण करने का प्रशिक्षण देते है। ऐसे परिवार में बच्चे जल्द ही बाल अपराधी बन जाते है।

भारत में बाल–अपराध रोकने का प्रावधानः– भारतीय दंड संहिता के अनुसार एक बच्चे को किसी भी अपराध के लिये तब तक सजा नही दी जा सकती जब तक उसकी उम्र 7 साल है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़के एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बीसवी शताब्दी में अपराधियों के प्रति वैज्ञानिक उपचार सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन आने से यह आवश्यक माना गया कि बाल अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिए अलग न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिये। सबसे पहले 1915 में बम्बई में जेल प्रशासन रिपोर्ट में इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया परन्तु सबसे पहला बाल–न्यायालय 1922 में कलकत्ता में खोला गया उसके बाद 1927 में बम्बई मे तथा 1930 में मद्रास में 1930 के उपरान्त धीर–धीरे कुछ अन्य राज्यों में भी इस प्रकार से न्यायालय स्थापित किये गये। परन्तु अब भी सभी राज्यों में बाल–न्यायालय नही मिलते। अधिकांशतः यह न्यायालय अलग मकानों में होते है। परन्तु जहाँ अलग भवन नहीं होते वहाँ व्यस्क अपराधियों के न्यायालय में ही एक कमरें में लगाये जाते हैं। इनकी संरचना भी साधारण न्यायालय से भिन्न है। इनमें अधिकतर महिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है, यद्यपि ऐसे भी न्यायालय है जहाँ पुरूष मजिस्ट्रेट पाये जाते है। जिनकों बाल–मनोविज्ञान और बाल–कल्याण का विशेष ज्ञान होता है। इन अदालतों में किसी सरकारी अधिवक्ता को अपनी अधिकारी वर्दी में आने नही दिया जाता तथा सभी सादे कपड़ों में ही रहते है। न्यायालय की कार्यवाही में भी गोपनीयता रखी जाती है। इस अदालत द्वारा दण्ड मिलने वाले बच्चे की स्थिति पर प्रभाव नही पड़ता क्योंकि पुनः अपराध करने पर उसके पहले दण्ड को ध्यान

नही दिया जाता जैसा कि व्यस्क अपराधियों में पाया जाता है। इस तरह बाल न्यायालयों के मुख्य लक्षण इस प्रकार दिये जा सकते है।

1. कार्यवाही की अनौपचारिकता, जैसे घर जैसा वातावरण, साधारण बातचीत द्वारा तथ्य एकत्रित करना आदि।

2. दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक न होना और सुधार पर बल देना

भारत में बाल–अपराधियों का सुधार और सुधारात्मक संस्थाए

पहले प्रौढ़ अपराधियों और बाल अपराधियों दोनो के ही साथ एक सा व्यवहार किया जाता था परन्तु अब की समस्याएं प्रौढ़ अपराधियों से पर्याप्त भिन्न है यदि इन दोनों प्रकार के अपराधियों को सुधारने के पष्थक प्रथक उपायों को अपनाया न गया तो परिणाम उल्टा होगा। इस कारण बाल अपराधियों से सम्बन्धित सुधारात्मक संस्थाओं का प्रोढ़ो से सर्वथा भिन्न रूप से संगठित किया गया है। भारत में विभिन्न बाल अधिनियमों और किशोर न्याय अधिनियम द्वारा विभिन्न प्रकार के सुधार ग्रहों की व्यवस्था की गई है।

रिमांड होम या संप्रेशण ग्रह

जब किसी कानून के अन्तर्गत किसी बालक को पकड़ लिया जाता है तो 24 घण्टे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और जब तक उस मुकदमें का निपटारा नही हो जाता उसे रिमांड होम या संप्रेशण ग्रह में रखा जाता है। यह संप्रेशण ग्रह बालिका के लिए न केवल सुरक्षित स्थान होता है बल्कि यहाँ बालक से सम्बन्धित सामाजिक जांच के अनेक कार्य किये जाते है। मुकदमें के निर्णय में यदि बालक का दोश सिद्ध हो जाता है तो उसे संप्रेशण ग्रह में तब तक के लिए रखा जाता है जब तक उसके बारे में यह निश्चित न कर लिया जाए कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाना है। अपराधी बालक के सुधार के लिए उपायों का निश्चित करने में सामाजिक कार्यकर्ता तथा परिवीक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी–कभी केवल कुछ दिनों तक संप्रेशण ग्रह में रखने के बाद बालक को मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार के रिमांड होम या संप्रेशण ग्रह मुख्यतः गैर सरकारी समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा चलाये जाते है और सरकार तथा जनता दोनों इनकी सहायता करते है।

प्रमाणित स्कूल

प्रमाणित स्कूल तिरस्कृत या निराश्रित बाल अपराधियों को सुधारने की एक संस्था है इन स्कूलों में अपराधी बालकों को सुधारने के लिए लम्बे समय तक रखा जाता हैं। ये स्कूल प्रायः ऐच्छिक संस्थाओं/NGO द्वारा चलाए जाते है और सरकार धन देकर इनकी सहायता करती है। भारत में ये प्रमाणित स्कूल दो प्रकार के है–जूनियर प्रमाणित स्कूल और सीनियर प्रमाणित स्कूल। जूनियर प्रमाणित स्कूल में 12 वर्ष से कम आयु के बालक रखें जाते हैं, इनमें बालकों को साधारण शिक्षा दी जाती है सीनियर प्रमाणित स्कूल में 12 से 16 वर्ष तक की आयु के बालक रखें जाते है, इन स्कूलों में साधारण शिक्षा के साथ–साथ कुछ तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है। इन स्कूलों में बालकों को एक निश्चित आयु तक ही रखा जाता है यहाँ रहने की अवधि सामान्यतः दो तीन वर्ष होती है लेकिन स्कूल किसी बालक को जल्दी भी मुक्त कर सकता है।

सुधार ग्रह

देश के जिन राज्यों में बाल अधिनियम 1960 लागू है वे सुधारालय अधिनियम 1897 के अर्न्तगत स्थापित सुधारग्रहों में बाल अपराधियों को भेजते है। इसमें बालक को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजी रोटी कमाने योग्य बनाया जाता है केवल अपराधी जो 16 वर्ष से कम आयु के है और जिन्हें आजीवन कारावास की या ऐसी कड़ी सजा मिली है इन सुधार गृहों में 7 वर्ष तक अवधि के लिए रखें जाते है।

बोस्टल (किशोर बंदी सुधार) संस्था एवं विशेष ग्रह

इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य किशोर अपराधियों में सुधार लाना है सर्वप्रथम सरगेल्स ब्रादर्स ने इग्लेण्ड में सन 1902 में बोस्टल नामक स्थान पर एक संस्था स्थापित की थी बोस्टल नामक स्थान पर स्थापना के कालांतर में किशोर बंदी सुधार संस्थाओं को बोस्टल संस्था कहा जाने लगा। भारत में भी समय–समय पर विभिन्न प्रदेशों में अधिनियम पारित करके बोस्टल संस्थाओं की स्थापना की गयी। संस्थाओं में किशोर अपराधियों को कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक पॉच वर्ष के लिए रखा जा सकता है। इन संस्थाओं में किशोरों के भवन निर्माण कला तथा इंजीनियरिंग संबंधी शिक्षा दी जाती है और किशोरियों को गृहकार्य या पाक विद्या आदि की शिक्षा दी जाती है यदि कोई किशोर अपराधी बोस्टल संस्था में रहकर भी सुधरता नजर नही आता तो उसे बदीगृह में भेज दिया जाता है।

किशोर गृह

किशोर न्याय अधिनियम 1986 में किशोर ग्रहों की व्यवस्था के प्रावधान किए गये है इन संस्थाओं में उन बालकों को भेज दिया जाता है जो उपेक्षित निराश्रित और असहाय होते है उपेक्षित होने के कारण इनके अपराधी होने का खतरा या संभावना बनी रहती है इस प्रकार के ग्रह में इन किशारों के भरण पोषण की व्यवस्था अनाथालयों की व्यवस्था के समानांतर है।

परिवीक्षा होस्टल

बाल अपराधियों को परिवीक्षा अधिनियम में स्थापित उन बाल अपराधियों के आवासीय व्यवस्था एंव उपचार के लिए होता है जिन्हें परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में परिवीक्षा पर रखा जाता है। इनकों बाजार जाने में अपनी इच्छा का काम करने की स्वतन्त्रता होती है।

निष्कर्ष

बाल अपराधियों को सुधारने से सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था को विकसित करने में आज भारत अन्य प्रगतिशील देशों से पीछे नहीं है पर भारतीय समाज में कुछ अन्य समस्यायें जैसे अतिजनंसख्या, बेरोजगारी, भुखमरी आदि अधिक गम्भीर है कि उनसे ही निपटना सरकार के लिए अत्यन्त कठिन हो रहा है। बाल अपराध भी इन्ही सामाजिक समस्याओं की बहुत बड़ी उपज है। सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और निष्ठावान अधिकारियों व नेतृत्व का अभाव सुधार कार्यक्रमों के सफल कियान्वयन के पथ पर एक बहुत बडी बाधा है। बाल अपराध के उपचार के लिए परिवार, विद्यालय तथा शिक्षक, स्वस्थ मनोरंजन के साधनों में वृद्धि एवं समुदायिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। बाल अपराध की रोकथाम और सुधार के

सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। बाल अपराध की रोकथाम या सुधार सम्बन्धी कानून के बनने से पहले भी अनेक समाजसेवी संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे है। बाल अपराध के लिए मनोदशा, मनोविकृति व मानसिक असन्तुलन को उत्तरदायी मानते है, जबकि समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं द्वारा बाल अपराध की व्याख्या देते है बाल अपराध का जैविक सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति की जैविक संरचना में कुछ स्पष्ट देखें जा सकने वाले लक्षण होते है जो उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करते है ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृकता द्वारा हस्तानान्तरित होते रहते है।

अन्त में कहा जा सकता है कि अनेक व्यवस्थाओं और दावों के बाद भी विश्व के अधिकांश देशों में आज भी बच्चों बाल अपराध में सुधार नही मिल पा रहे हैं। में सुधार के लिए कानून के निर्धारण के साथ समाज और बच्चों के अभिभावकों को जागरूक होना होगा। साथ ही समाज में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा तथा विशमता जैसी बीमारियों के कुचक्रों को तोडने के लिए जीवन के प्रारम्भिक अवस्था में ही शीघ्र हस्तक्षेप करना होगा। बचपन के प्रारम्भ में देखभाल बच्चे के सम्पूर्ण सार्थक जीवन और राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है, इसलिए बच्चों के जीवन के प्रारम्भिक वर्षो में निवेश न सिर्फ बच्चों और परिवार की सहायता है बल्कि स्थाई विकास भी है। अतः आज सबसे बड़ी आवश्यकता बाल अधिकारों के प्रति अपना संकल्प दोहराने की है तथा बच्चों के लिए हितकारी दुनिया का स्वरूप तय करने की है ताकि एक सभ्य एवं सुदृढ़ मानव समाज बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में हस्तान्तरित किया जा सके, बच्चों के प्रति यही बुद्धिजीवियों की अनुपम देन होगी। बीसबी शताब्दी की गम्भीर सामाजिक समस्याओं में से एक चिन्तनीय समस्या ''बाल अपराध'' है। भारत में इन विघटनात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने सामाजिक समस्याओं को सुलझााने तथा जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं का विकास एक संवेदनशील प्रगतिशील समाज की स्थापना की मूलभूत आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. आहुजा मुकेश : अपराध शास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर वर्ष 2000
2. अंसारी एम0 ए0 : नारी चेतना और अपराध, पंचशील प्रकाशन जयपुर 1990
3. आहूजा डॉ0 राम : आधुनिक भारत की सामाजिक समस्याएँ, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ
4. अखिलेश डॉ0 एस0 : बाल अपराध, क्लासिकल कम्पनी नई दिल्ली 2000
5. गुप्ता प्रो0 एम0 एल : ''अपराध एवं समाज'' जवाहर प्रकाशन दिल्ली 2010
6. कुमारी मंजू : भारत के बाल अपराध, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर
7. महाजन डॉ0 धर्मवीर : अपराध एंव समाज, विवेक प्रकाशन जवाहरनगर दिल्ली 2010
8. महाजन डॉ0 कमलेश : अपराध एंव समाज, विवेक प्रकाशन जवाहरनगर दिल्ली 2010
9. मुकर्जी डॉ0 रवीन्द्रनाथ : सामाजिक समस्याएँ विवेक प्रकाशन दिल्ली 2011
10. शर्मा प्रज्ञा : भारत में सामाजिक समस्याएँ, सागर पब्लिशर्स जयपुर 2011